

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 83/2023

तारीख दायर 7/6/23

1. रमेश कुमार दत्तक पुत्र नन्दा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. शंकरलाल दत्तक पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....प्राथीगण

बनाम्

1. घनश्याम पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. शंकरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. शम्भुलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
4. रमेश पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
5. नरेश पिता सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
6. सुगनलाल पिता चर्तुभुज जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....विपक्षीगण




प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 7/6/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 152 पर अंकित आराजी संख्या 482 रकबा 0.6799 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

.....निरन्तर पेज संख्या 2 पर


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

पेज संख्या 2


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्बन्धित के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी कमिश्नर फीस ~~500~~ /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी फीस अदा करेगा।
नियमानुसार

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 152 पर अंकित आराजी संख्या 482 रकबा 0.6799 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
उपविस्त्रियकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - ३३/२०२३

तारीख दायर 7/6/23

प्रेषिति :-तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ३३/२३पत्थरगढी बाबत।

1. रमेश कुमार दत्तक पुत्र नन्दा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. शंकरलाल दत्तक पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

.....प्राथीगण

बनाम्

1. घनश्याम पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. शंकरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. शम्भुलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
4. रमेश पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
5. नरेश पिता सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
6. सुगनलाल पिता चर्तुभुज जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 152 पर अंकित आराजी संख्या 482 रकबा 0.6799 भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी

उपनिरीक्षक

बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा